

4.9.20

उपपत्रक उपस्थित। वाद-पत्र का मिराट्टि हो जाने पर
अर्चना-पत्र 212 R TA उपबन्धित हो गया है। अतः दिनांक
3-12-2019 को जारी कम्पाई मिन्टिपारु मिन्टिपारु की
जान अर्चना-पत्र 212 R TA शीतल पर कानून
मिन्टिपारु है। पत्रावली नंबर के वरु होकर अर्चना
इफर हो।

आफिस ले इन्फोर्मेशन देना


उपबन्धित अधिकारी
- सुरतगढ़

